

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

05/12/24

पुत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपाधीनता
विधायिका के समक्ष पेश करने हेतु
प्रार्थी वकील को अनेक अवसर केने के
बावजूद भी पेश नहीं किये जाये। अतः
प्रार्थी द्वारा अतुल्य शर्चना पर आदेश अपालना
में रवाशीज की जानी है।

पुत्रावली केवल शुमार दोन वारकील दफ्तर
को। धरका न का हो।



वारकील दफ्तर